(3)

संख्या : 12 / 1–10–2011–14(63) / 2011

प्रेषक

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 2011

विषय : वर्ष 2010 में बाढ़ से प्रभावित पशुओं को बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य हेतु व्यय धनराशि का वित्तीय वर्ष 2011–12 में समायोजन हेतु आपदा राहत निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में आई बाढ़ से प्रभावित पशुओं को सकामक एवं जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य में हुये व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 9,97,870/– (रूपये **नौ लाख सत्तानबे हजार आठ सौ सत्तर मात्र**) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0 सं0	जनपद का नाम	मद	धनराशि (रू0 में)	जिलाधिकारी का संदर्भ / पत्र
1	बाराबंकी	पशुओं का टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन	9,97,870/-	अ0शा0प0सं0–2425 / आ0 लि0 दिनांक 01 अप्रैल, 2011

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइड लाइन संख्या 32–34/2007–एन0डी0एम0–1 दिनांक 27 जून, 2007 में दिये गये मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010 में आई बाढ़ से प्रभावित पशुओं को संक्रामक एवं जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य में हुये व्यय के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

5. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरस्ताकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या– 1113 (1)/1–10–2011–14(63)/2011, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त फैजाबाद।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– मुख्य कोषाधिकारी बाराबंकी।
7– वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–5
8– राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11 ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व